महत्वपूर्ण

उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय,
01, राज विहार, चकराता रोड़, देहरादून।

पंत्रांकः—980 / नि0मु0 / एच0क्यू0 / 13 दिनांक 10 सितम्बर 2013

समस्त अधिकारी निगम मुख्यालय,
समस्त मण्डलीय प्रबन्धक,
समस्त सहायक महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड परिवहन निगम,
देहरादून / नैनीताल / टनकपुर।

विषय :— संविदा / एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत चालक / परिचालक के बिना टिकट / लगेज (भाड़ा) टिकट के प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के पत्र सं0—139 / एच0क्यू0 / स्था—1(अनु0) / 2011, दिनांक 30 मार्च 2012 तथा पत्रांक—140 / एच0क्यू0 / स्था—1(अनु0) / 2011, दिनांक 30 मार्च 2012 के द्वारा संविदा / एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत चालक / परिचालक के बिना टिकट तथा माल भाड़ा के प्रकरण के निर्धारण के लिय दिशा—निर्देश निर्गत किये गये थे। मुख्यालय स्तर पर समय—समय पर आयोजित समीक्षा बैठकों में यह अनुरोध किया जाता रहा है कि बिना टिकट तथा माल भाड़े के प्रकरण के निस्तारण में समय—समय पर आने वाली भ्रान्तियों को दूर करने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत परिपत्र को पुनरीक्षित करते हुये संशोधित दिशा—निर्देश जारी कर दिये जाये। सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत समस्त उक्त विषयक परिपत्रों को अतिक्रमित करते हुये निम्नानुसार मांग—निर्देश निर्गत किये जाते है।

मार्ग में बसों के संचालन के समय बरती जाने वाली अनियमितता को मुख्यतः पांच श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:—

(क) अवैधानिक / अवैध टिकटों के प्रकरण।
(ख) बिना टिकट यात्रा से सम्बन्धित प्रकरण।
(ग) बिना टिकट भार (लगेज) से जुडे प्रकरण।
(घ) निरीक्षण दल को बस का निरीक्षण करने से रोकना व बाधा डालना तथा यात्रियों को भड़काकर व्यवधान उत्पन्न करना एंव ई0टी0एम0 मशीन न उपलब्ध कराया जाने से सम्बन्धित प्रकरण।
(ड़) चालक द्वारा बस से डीजल का अवैध रूप से निकाले जाने का प्रकरण।
(च) बिना टिकट ऐसे प्रकरण जो उपर्युक्त श्रेणी से अच्छादित न होते हो।

(अ) अवैधानिक / अवैध टिकटों के सम्बन्ध में मुख्यतः निम्न विषय समाहित होगें:—

1. पूर्व निर्गत टिकटों को पुनः निर्गत कर प्रयोग में लाया जाना।

2. परिचालक को आंवटित ई0टी0एम0 मशीन/प्रिंटेड स्टेशनरी से इतर टिकटों का निर्गमन किया जाना।

3. टोल रसीद/ई0टी0एम0 द्वारा निर्गत विभिन्न रिपोर्टों को टिकट के रूप में यात्रियों को दिया जाना।

4. टिकट रोल को फाड़कर हस्तलिपि में टिकट को निर्गत करना।

5. बुकिंग एजेण्ट की आरक्षण रसीद को टिकट के रूप में यात्रियों को जारी करना अथवा करवाना।

(ब) बिना टिकट यात्रा के प्रकरण के सम्बन्ध में निम्न विषय समाहित होगें:–

1. बिना टिकट के ऐसे प्रकरण, जिसमें परिचालक द्वारा यात्री से निर्धारित किराया लेकर टिकट हस्तगत न करना।

2. बिना टिकट के ऐसे प्रकरण, जिसमें परिचालक द्वारा यात्री से निर्धारित किराया प्राप्त करने के उपरान्त निर्धारित वैधता का टिकट न उपलब्ध कराया जाना तथा शार्ट डिस्टेन्स के टिकट जारी करना।

3. बस में मौजूद यात्री को गलत श्रेणी का टिकट उपलब्ध कराया जाना। (यथा विकलांग/स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी अथवा उनके आश्रित जैसी श्रेणी के अन्तर्गत सामान्य यात्रियों को निर्धारित किराया लेने के बाद भी अनुचित रूप से अनुसूचित श्रेणी में यात्रा कराया जाना)

4. यात्रियों का टिकट समुचित समय/दूरी के अन्दर न बनाया जाना।

(स) बिना टिकट भार (लगेज) से जुड़े प्रकरणों में मुख्यता निम्न विषय समाहित होगें:–

1. परिचालक द्वारा लगेज का टिकट न बनाया जाना।

2. परिचालक द्वारा वास्तविक लगेज का भार टिकट निर्गत न करते हुये उसकी जगह कम मूल्य का भार टिकट निर्गत किया जाना।

3. ऐसे लगेज की बुकिंग किया जाना जिसका स्वामी बस में लगेज के साथ यात्रा न कर रहा हो।

4. प्रतिबन्धित ज्वलनशील सामग्री/नशीले मादक पदार्थों का अनाधिकृत परिवहन से जुडे प्रकरण।

(द) निरीक्षण दल को बस का निरीक्षण करने से रोकना तथा ई0टी0एम0 मशीन न उपलब्ध कराये जाने से जुड़े प्रकरणों में मुख्यता निम्न विषय समाहित होगें:–

1. अधिकृत निरीक्षण दल के संकेत पर भी निरीक्षण हेतु वाहन का ना रोका जाना।

2. निरीक्षण दल को ई0टी0एम0 मशीन अथवा वेबिल न उपलब्ध कराये जाने वाले प्रकरण।

(प) चालक द्वारा बस से डीजल का अवैध रूप से निकाले जाने के प्रकरणों में मुख्यता निम्न विषय समाहित होगें:–

1. परिवहन निगम की बस के डीजल टैंक से डीजल को बेचे जाने के लिये निकाला जाना।

2. निजी पम्पों से मार्ग में डीजल लेते समय दर्शित मात्रा में डीजल का कय न किया जाना।

उपर्युक्त श्रेणियों में संचालन के दौरान बरती जाने वाले अनियमितता के विभाजन उपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक श्रेणी के कदाचार को दण्ड निर्धारण के परिपेक्ष्य में पृथक–पृथक रूप से संज्ञान में लिया जाये।

(1) **''अवैधानिक/अवैध टिकटों के प्रकरण''** के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस श्रेणी के प्रकरणों को **गम्भीर कदाचार** मानते हुये कार्यवाही की जायेगी। इस श्रेणी के अन्तर्गत सिर्फ वे ही प्रकरण शामिल किये जायेंगे, जिसमें जान–बूझकर निगम के साथ जालसाजी करते हुये वित्तीय अनियमितता बरती गयी।

ऐसे प्रकरण जो कि **जालसाजी से सम्बन्धित** है तथा जिनमें निगम को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से आपराधिक षड़यंत्र के तहत क्षति पहुंचायी गयी हो उसमें इस श्रेणी के कोई **एक भी प्रकरण प्राप्त होने पर संविदा/एजेन्सी** के परिचालक को **सुनवाई का अवसर** प्रदान करते हुये आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। जब तक परिचालक के प्रकरण में सुनवाई डिपो स्तर पर प्रकियागत रहेगी, उस अवधि तक आरोपित परिचालक को **रूट आफ** रखा जायेगा। डिपो सहायक महाप्रबन्धक प्रकरण का निस्तारण रिपोर्ट प्राप्त होने के **अधिकतम 15 दिनों के अन्दर** करेंगें। **आरोप सिद्ध होने** पर सम्बन्धित परिचालक के विरूद्ध डिपो सहायक महाप्रबन्धक के द्वारा सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत **प्राथमिकी** दर्ज करायी जायेंगी। **इस तरह के अनियमितता के प्रकरणों में संचयी गणना नहीं की जायेगी तथा दोष सिद्ध होने की दशा में परिचालक को तत्काल सेवा से पृथक कर दिया जायेगा। बिना टिकट** के इस प्रकार के प्रकरण में परिचालक द्वारा निगम को पहुंचायी गयी वित्तीय क्षति की गणना करते हुये **वास्तविक टिकट मूल्य के 10 गुने अथवा रू0 5000/– जो भी अधिक हो, के समतुल्य धनराशि की वसूली की जायेगी। इसके साथ–साथ परिचालक की निगम में जमा सिक्योरिटी को जब्त कर लिया जायेगा।**

(2) **''बिना टिकट यात्रा से सम्बन्धित प्रकरण''** के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि संविदा/एजेन्सी के परिचालक के वाहन में निरीक्षण के समय निरीक्षण दल के सदस्यों को बस में यात्रा कर रहे यात्रियों के पास वैध टिकट न पाये जाने की दशा में ऐसे यात्रियों को बिना टिकट यात्री मानते हुये बस में तैनात परिचालक को इसके लिये उत्तरदायी माना जायेगा।

ऐसे बिना टिकट के प्रकरण में परिचालक द्वारा निगम को पहुंचायी गयी वास्तविक राजस्व क्षति की गणना करते हुये तदनुसार निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अर्थदण्ड की वसूली की जायेगी।

(क) यदि परिचालक **प्रथम बार** बिना टिकट के प्रकरण में पकडा जाता है तो उस स्थिति में वास्तविक टिकट मूल्य के **10 गुने के समतुल्य धनराशि अथवा रू0 1000/– जो भी अधिक हो,** की वूसली सम्बन्धित परिचालक से की जायेगी। इसके साथ ही साथ बिना टिकट यात्रियों का गन्तव्य तक टिकट निरीक्षण दल के प्रर्यवेक्षण में नियमानुसार बनाया जायेगा। ऐसे प्रकरणों की विधिवत् सूचना निरीक्षक दल द्वारा निधारित प्रकियानुसार आरोपित परिचालक के मूल तैनाती के डिपो में दी जायेगी। रिपोर्ट में निरीक्षण दल द्वारा चैकिंग स्थान एंव समय, अन्तिम बस स्टोपेज